हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 29 मार्च, 2023

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1–34/2023.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 8) जो आज दिनांक 29 मार्च, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र (ई–गजट) में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2023 का विधेयक संख्या 8.

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।
3. धारा 4 का संशोधन।
4. धारा 5 का संशोधन।

––––––––

2023 का विधेयक संख्यांक 8

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

2. **धारा 3 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (थ) में "यदि कोई हो" शब्दों के पश्चात् "और वयस्क पुत्री" शब्द रखे जाएंगे।

3. **धारा 4 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (4) में:–

(क) "व्यक्ति का प्रत्येक वयस्क पुत्र" शब्दों के पश्चात् "या वयस्क पुत्री" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"स्पष्टीकरण:–पुत्री शब्द के अन्तर्गत दोनों अविवाहित और विवाहित पुत्रियां सम्मिलित होंगी"।

4. **धारा 5 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (ज) में "वास्तविक परियोजना के उपयोग" शब्दों के पश्चात् "या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना उपयोग" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा (4) में, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के उपबन्ध के अधीन किसी व्यक्ति या कुटुम्ब के अनुज्ञेय क्षेत्र की गणना करने के लिए "पुत्री" को एक पृथक इकाई मानने से अपवर्जित किया गया है। इस अपवर्जन को समाज में विभिन्न मंचों पर उठाया गया है और इसे पुत्रियों के विरुद्ध लिंग विभेद माना गया है। अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन अधिकथित सिद्धांतों को लागू करते समय अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय सीमा की गणना के लिए पुत्री का एक पृथक इकाई के रूप में मानने से अपवर्जन, उसके माता–पिता के पक्ष में भूमि की अनुज्ञेय मात्रा में कमी कर सकेगा। इस प्रकार यह विधान में असंगति है और प्रस्तावित संशोधन इसमें सुधार हेतु आशयित है।

जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करते हुए और ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों को अपनाते हुए हरित और स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन समय की मांग है। जल–विद्युत उत्पादन की अनुपूर्ति करने हेतु, राज्य बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तथापि, हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 के अधीन सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कोई छूट नहीं है। प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय और राज्य सरकार पब्लिक सेक्टर उपक्रमों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निष्पादन करने के लिए अधिकतम सीमाओं से छूट देने के लिए उपबंध करता है। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मंत्री।

शिमला:
तारीख: ....., 2023

————————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

————————

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2023

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मंत्री।

————————

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख , 2023

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 8 of 2023.

THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 3.
3. Amendment of section 4.
4. Amendment of section 5.

————————

THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act,1972 (Act No.19 of 1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.— This Act may be called the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 2023.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (q), after the words "if any", the sign and words "; and an adult daughter" shall be substituted.

3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act, in sub-section(4),—

(a) for the words, "of a person", the words "or adult daughter of a person" shall be substituted; and

(b) after the proviso, the following explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.—the word daughter shall include both unmarried and married daughters.".

4. Amendment of section 5.— In section 5 of the principal Act, in clause (h), after the words "bonafide project use", the sign and words "; or by a Central Government or State Government public sector undertaking for solar power project use" shall be inserted.

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In sub-section (4) of section 4 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972, the "daughter" has been excluded for considering as a separate unit for calculating the permissible area of a person or family under the provision of sub-section (1) of section 4 of the said Act. This exclusion has been pointed out at various platforms in the society and it has been considered as a gender discrimination against the daughters. The exclusion of daughter from considering her as a separate unit for calculating the permissible limit under the Act, may reduce the permissible quantum of land in favour of her parents, while applying the principles as laid down under section 4(1) of the Act. As such this is an anomaly in the legislation and the proposed amendment intends to rectify the same.

The need of the hour is to shift on to green and clean energy by reducing the reliance on the fossil fuels and adopting renewal sources of energy. In order to supplement the hydropower generation the State endeavors to set up large solar power plants. However, there is no exemption for the solar power projects under the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972. The proposed amendment seeks to make provision for exempting the Central and State Government

public sector undertakings from ceiling limits for executing solar power projects. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
The , 2023.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act,1972 (Act No.19 of 1973).

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA:

The ,2023.